भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1916
11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ एमपीलैड्स का अभिसरण

1916. कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने दिले कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के बीच अभिसरण का कोई आकलन किया है ताकि परिसंपत्तियों के दोहराव से बचा जा सके और इष्ठतम व्यय किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर उक्त अभिसरण को सक्षम बनाने वाले दिशानिर्देशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं या डिजिटल प्लेटफार्मों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर-योजना समन्वय की कमी के कारण अतिव्यापी कार्यों या निधियों के कम उपयोग के मामलों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आधिकारिक पोर्टल पर विभिन्न चरणों में एमपीलैंड कार्यों की भू-टैग की गई, समय-मुहर लगी तस्वीरों को अपलोड करने में जिलों द्वारा अनुपालन की स्थिति का ब्यौरा क्या है और विलंब, यदि कोई हो, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनिवार्य फोटो अपडेट, डैशबोर्ड और ऑडिट के माध्यम से निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों सहित राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 7.1 के अनुसार, एमपीलैड्स निधि को अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं की व्यक्तिगत/स्टैंड-अलोन परियोजनाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के साथ पूल किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हों। एमपीलैड योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाएं सार्वजनिक और सामुदायिक भवनों,

सार्वजनिक सुविधाओं, सुरक्षा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इस व्यापक कवरेज को देखते हुए, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां केंद्र या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का प्रकार एमपीलैड्स के तहत के साथ ओवरलैप हो। हालांकि, किसी विशेष कार्य के संबंध में, संसाधनों के दोहराव से सख्ती से बचा जाता है। जहां कहीं भी एमपीलैड्स निधि को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाता है, वहां अन्य योजनाओं की निधि का उपयोग पहले किया जाता है, और एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त अंतर को पाटने के लिए किया जाता है। माननीय संसद सदस्य ईसाक्षी पोर्टल के माध्यम से एमपीलैड्स के अंतर्गत अभिसरण की आवश्यकता वाले कार्यों सहित अन्य कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, पूर्ण परिसंपत्तियों की भू-टैग की गई छवियों को ईसाक्षी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, ईसाक्षी पोर्टल भुगतान प्रक्रिया और कार्य पूर्णता के प्रत्येक चरण में परिसंपत्तियों और संबंधित दस्तावेजों की छवियों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसियां, मंजूरी आदेशों और संबंधित अभिलेखों जैसे दस्तावेजों के साथ-साथ, पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में संपत्तियों की तस्वीरें अपलोड करती हैं, ताकि जनता/हितधारकों द्वारा सही व्याख्या और समझ संभव हो सके।

पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एमपीलैड्स पोर्टल के डैशबोर्ड को नया रूप दिया है और पोर्टल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और सार्वजनिक डैशबोर्ड पर जानकारी के प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देने वाला एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक नोट, जिसमें विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, अब जनता द्वारा सार्वजनिक डैशबोर्ड तक पहुँचने से पहले प्रदर्शित किया जाता है;
- माननीय संसद सदस्यों को उनके द्वारा अनुशंसित पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में चित्र अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है; और
- पूर्ण हो चुके कार्यों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला प्राधिकरणों के लिए छवियों को पुनः अपलोड करने का प्रावधान किया गया है;
- सार्वजनिक डैशबोर्ड पर प्रदर्शित जानकारी में अब आवंटन, संस्तुतियों, स्वीकृतियां, पूर्ण किए गए कार्य, आपदा संबंधी सहमति और पूर्ण तथा चल रहे कार्यों के लिए विक्रेता भुगतान से संबंधित विवरण स्पष्ट और सरल तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं।

*****